राजस्थान सरकार
कार्यालय प्रमुख शासन सचिव
अल्पसंख्यक मामलात विभाग

2217, सचिवालय
जयपुर-302 005
टेलीफैक्स : +91-141-2227464
ई-मेल : rohitbrandon@gmail.com

अ0 शा0 पंत्राक प. 4 (4) वक्फ/2009
जयपुर दिनांक 24.01.2011

विषयः— वक्फ सम्पत्तियों का राजस्व अभिलेखों में इन्द्राज करने बाबत।

दिनांक 5–6 अक्टूबर 2010 को माननीय मुख्यमंत्री महोदय की अध्यक्षता में आयोजित जिला कलक्टर – पुलिस अधीक्षक सम्मेलन के कार्यवाही विवरण के बिन्दु संख्या–1.12 (श्मशान/कब्रिस्तान/सरकारी विद्यालयों की भूमि एवं राजकीय भूमि सीमाकंन करवाकर इनके रख–रखाव की पर्याप्त व्यवस्था की जानी चाहिये। इन भूमियों पर होने वाले अतिक्रमणों को भी सख्ती से रोका जाना चाहिये) की क्रियान्विति सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त वर्णित मामलों मे निम्नलिखित निर्देशों के अनुसार छः माह में पालना की जावे एवं मासिक प्रगति इस विभाग को भिजवाना सुनिश्चित करे :–

मस्जिद, दरगाह, इमामबाडा, कब्रिस्तान और मकबरों की सम्पत्ति, जिनमें मुआफी, बिवसवेदारी, इनाम या खातेदार दर्ज थी और जिनको उनको मुतवल्लियों, व्यवस्थापकों खादिमों, सज्जादानशीनों, मकुजाविरों व देख–रेख करने वालों व अन्यों के नाम दर्ज कर दी गई है, तो उनका रेकार्ड दुरूस्ती कर औकाफ के नाम तुरन्त दर्ज किया जाए।

जो वक्फ सम्पत्ति राजस्थान राजपत्र भाग–2 (क) 1965–66 में अकित है, उनका इन्द्राज राजस्व अभिलेख में संबंधित औकाफ के नाम से किया जावे। यदि किसी वक्फ भुमियों का नाम राजपत्र में है, परन्तु खसरा नम्बर राजपत्र में दर्ज नही है, उन्हे मौके पर कब्जे के आधार पर खसरा नम्बर ज्ञात कर अब दर्ज किया जावे। राजपत्र में घोषित किसी वक्फ सम्पत्तियों का स्वामित्व यदि वक्फ के स्थान पर किसी और के नाम रेकार्ड में दर्ज हो गया है तो विवाद नहीं होने की स्थिति में उसे दुरूस्त कर वक्फ के नाम दर्ज किया जावे।

राज्य सरकार के परिपत्र एफ. 20 (20)राज/3/79 दिनांक 22.7.82 की अनुपालना में वक्फ की कृषि भूमियों को, जो वक्फ सम्पत्ति घोषित है, वक्फ सम्पत्ति दर्ज किया जावे व जमाबन्दी एवं अन्य अभिलेखों में इन्द्राज किया जावे, ताकि अवैध नामान्तरकरण नही खोले जा सकें।

4. जंहा नोटिफिकेशन में खसरा नम्बर सही दर्ज है, परन्तु क्षेत्रफल सही दर्ज नहीं है तो मौके की स्थिति के अनुसार राजस्व रेकार्ड से चैक कर उसे शुद्ध कर क्षेत्रफल संबंधित औकाफ के नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज किया जावे।

5. जंहा नोटिफिकेशन में केवल वक्फ सम्पत्ति का नाम दर्ज है, परन्तु खसरा नम्बरान, क्षेत्रफल और परिसीमा कुछ भी अंकित नहीं है, तो औकाफ की मौके की स्थिति व वास्तविक क़ब्जे में धारित भूमि का खसरा नम्बर राजस्व रेकार्ड या अन्य सरकार रेकार्ड से ज्ञात कर व कब्जे की मौके की स्थिति के अनुसार क्षेत्रफल संबंधित औकाफ के नाम दर्ज किया जावे।

6. वक्फ सम्पत्ति के विवादग्रस्त प्रकरणों को जिन्हे वक्फ दर्ज करने में या सीमाओं व क्षेत्रफल को लेकर विवाद हो व इस कारण राजस्व रेकार्ड में दर्ज करने में कठिनाई हो तो उन्हे पूर्ण तथ्यों के साथ वक्फ बोर्ड व राज्य सरकार को मार्ग– दर्शन हेतु भिजवायें।

7. विभिन्न न्यायालयों/वक्फ अभिकरण द्वारा दिये गये निग्रयों एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, वक्फ बोर्ड द्वारा केन्द्रीय वक्फ अधिनियम, 1995 की धारा 54–55 के अन्तर्गत पारित निर्णयों के अनुपालना में वक्फ सम्पत्तियां वक्फ बोर्ड को संभलाने की कार्यवाही तीन माह में कराना सुनिश्चित करावें।

सदभावी

(रोहित आर. ब्राण्डन)

समस्त जिला कलेक्टर (संलग्न प्रतिनुसार)

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. समस्त सम्भागीय आयुक्त।
2. सचिव,स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि ऐसे आदेश स्थानीय निकायों को भी पालनार्थ पारी करने का श्रम करे।
3. निजी सचिव, माननीय राज्य मंत्री, वक्फ राजस्थान, जयपुर।
4. सचिव, राजस्थान बोर्ड ऑफ मुस्लिम वक्फस, जयपुर।

प्रमुख शासन सचिव
अल्पसंख्यक मामलात विभाग